Helpline No.:-(+91)-7597122440
जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड, जयपुर (राज.) - 302026
वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई-मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्स 0141-2680551-79

विश्वविद्यालय परिसर मे ऑनलाईन (Short term) पाठ्यक्रम संचालन करने की नियमावली

1. सभी पाठ्यक्रमो के संयोजक निदेशक शैक्षणिक परिसर होंगें।
2. विभागाध्यक्ष या विभाग द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम के लिये विभागाध्यक्ष ही सह संयोजक होगे, जो आवश्यकतानुसार समन्वयक नियुक्त कर सकेंगें। अन्य शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किये गये पाठ्यक्रम का सहसंयोजक व समन्वयक वह शिक्षक ही होगा।
3. सह संयोजक किसी शिक्षक को एक से अधिक पाठ्यक्रम हेतु समन्वयक नियुक्त नही कर सकेगा। विशेष परिस्थिति मे(विभाग मे शिक्षक नही होने पर) संयोजक तथा कुलपति की अभिशंषा पर ही कोई शिक्षक एक से अधिक पाठ्यक्रम का समन्वयक हो सकेगा।
4. यह सभी पाठ्यक्रम स्वपित्तपोषी है इनमे प्राप्त आय का 40% विवि कोष मे तथा अधिकतम 60% से ही पाठ्यक्रम संचालित होगा।
5. संयोजक,सह संयोजक को कोई स्थिर मानदेय देय नही होगा। समन्वयक को पाठ्यक्रम की सकल आय का 5% मानदेय देय होगा। वास्तविक कालांश के अध्यापन का भुगतान (300 रुपये प्रति कालांश) सभी (संयोजक,सहसंयोजक,समन्वयक)को अध्यापन कराने पर नियमानुसार देय होगा।
6. प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश योग्यता 10+2/समकक्ष उत्तीर्ण तथा न्यूनतम छात्र संख्या 20 होगी।
7. षाण्मासिक से कम अवधि वाले पाठ्यक्रम हेतु शुल्क द्विमासिक के लिये 2000/, त्रैमासिक हेतु 3000/, चार व पॉच माह हेतु 4000/, तथा षाण्मासिक के लिये 6000/ रुपये प्रतिछात्र होगा। जिसमे सक्षम स्तर पर अनुमोदन कर वृद्धि की जा सकेगी।
8. परीक्षा शुल्क 500/ रुपये प्रति छात्र होगा।
9. वास्तविक अध्यापन के कालांश के लिये सह संयोजक व/ समन्वयक निर्णय कर सकेंगें किन्तु यह सप्ताह मे तीन दिन से कम नही हो सकते है।
10. परीक्षा मे उत्तीर्णता प्रतिशत प्राप्तांक न्यूनतम 36 होंगें।
11. परीक्षा मे सफल अभ्यर्थियों को सहा.कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र दिया जायेगा, जिसका प्रारुप पाठ्यक्रम संचालन से पूर्व ही संयोजक समस्त विभागाध्यक्षो के साथ तैयार करवा लेंगें।
12. परीक्षा का आयोजन,परिणाम प्रकाशन आदि कार्य पाठ्यक्रम की समाप्ति से अधिक तम तीन माह की अवधि मे आयोजित किये जाने अनिवार्य होंगे।
13. इन सभी पाठ्यक्रम नियमो मे आवश्यकतानुसार परिवर्तन,संशोधन करने का अधिकार कुलपति को होगा।

डॉ विनोद कुमार शर्मा	डॉ माता प्रसाद शर्मा सदस्य सचिव
डॉ राजधर मिश्र	डॉ सुभाष शर्मा अध्यक्ष

Scanned with CamScanner